न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/85/18	08-08-2018	08-08-2018

1- आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड तीसरी मंजिल स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिग मालवीय नगर जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री आशीष गुप्ता। **प्रार्थी**

बनाम

1-नेशनल मोटर्स पता :- प्लॉट नं0 44 दाऊदपुर आजाद नगर दीपक मैरिल होम के पीछे तहसील व जिला अलवर।

2-श्रीमती शशि देवी पता :- प्लॉट नं0 44 दाऊदपुर आजाद नगर दीपक मैरिल होम के पीछे तहसील व जिला अलवर।

3-श्री मुकेश कुमार पता :- प्लॉट नं0 44 दाऊदपुर आजाद नगर दीपक मैरिल होम के पीछे तहसील व जिला अलवर।

4-श्री रजत गुप्ता पता :- प्लॉट नं0 44 दाऊदपुर आजाद नगर दीपक मैरिल होम के पीछे तहसील व जिला अलवर।

अप्रार्थी / ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

--:: निर्णय ::--

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर **क्रमशः (1) प्लॉट नं0 44 खसरा न0 101 ग्राम दाऊदपुर तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जो कि श्री मुकेश कुमार व श्रीमति शशि देवी के नाम से है। जिसका कुल क्षेत्रफल 198.15 वर्ग गज है। जिसकी चतुर्थ सीमाऍं इस प्रकार है :- पूर्व में अन्य खसरा, पश्चिम में सडक 30 फीट चौडी, उत्तर में प्लॉट नं0 43, दक्षिण में अन्य खसरा (2) प्लॉट नं0 3 खसरा नम्बर 289 ग्राम दाऊदपुर तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जो कि श्री रजत कुमार पुत्र मुकेश कुमार के नाम से है। जिसका कुल क्षेत्रफल 202.48 वर्ग गज है। जिसकी चतुर्थ सीमाऍं इस प्रकार है :- पूर्व में प्लॉट नं0-2, पश्चिम में सडक 30 फीट चौडी, उत्तर में सडक 40 फीट चौडी, दक्षिण में प्लॉट नं0-15 (3) प्लॉट नं0-15 का पूर्वी हिस्सा खसरा नं0 289 ग्राम दाऊदपुर तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जो कि श्री रजत कुमार पुत्र मुकेश कुमार गुप्ता के नाम से है। जिसका कुल क्षेत्रफल 83.33 वर्ग गज है। जिसकी चतुर्थ सीमाऍं इस प्रकार है :- पूर्व में प्लॉट नं-2, पश्चिम में प्लॉट नं-15 का शेष भाग, उत्तर में प्लॉट नं-3 क्रेता का निकास व आमदरफ्त जारी, दक्षिण में दीनदयाल की सम्पत्ति।** को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नही किया।

जिला मजिस्ट्रेट अलवर

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र/दस्तावेजता के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :–

1–रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.–आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08–08–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर